न्यायालय उपजिलाधिकारी, जसराना।

वादसंख्या 15/2012-2013 ग्राम वैरनी सनौरा तहसील जसराना।

चौ० बच्चूसिंह कालेज आफ एजूकेशन खेरगढ वैरनीसनौरा तहसीलजसराना द्वारा सचिव दीपककुमार बनाम उ०प्र०सरकार

धारा 143ज०वि०अधि०

02
7=00

दायाप्राि आदेश दि०7/3/2013

प्रस्तुत मामलेमें प्रार्थी सचिव दीपककुमार यादव पुत्र बच्चूसिंहयादव निवासीसीतानगर भाग वतहसील व जिला फिरोजाबाद चौ० बच्चूसिंहकालेज आफ एजूकेशन खेरगढ रोड वैरनीसनौरा तहसीलजसराना जिला फिरोजाबाद द्वाराप्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11-2-2013 परतहसीलदारजसरानासे जांच करायीगयी।तहसीलदार जसरानाने आख्या दिनांक 5-3-2013 धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारितप्रारूप पर प्रस्तुत कीहै जिसमें उल्लेखकियाहैकि ग्रामवैरनी सनौरा की गाटासंख्या 520 रकबा 0-405हे० के 1/4 भाग अर्थात 0-101हे० व गाटासंख्या609 रकबा0-599हे० कापूर्ण भाग व गाटासंख्या 521 1-538 का 5/24 भाग अर्थात 0-321हे० भूमिपर कुक्कुटपालन कृषि कार्य तथा बागवानी आदि के प्रयोग नहीं आ रहीहै। उपरोक्तभूमि आरक्षित श्रेणी कीभूमिनहींहै। भूमिमौके पर खालीपड़ीहै। वर्तमानमें भूमि विद्यालयके नामहै। उक्तभूमि परकोई विवादनहीं है। अतः उपरोक्त विद्यालयकीभूमिको धारा143ज०वि०अधि०के अन्तर्गत आबादी घोषित कियजानेकीआख्या संस्तुति सहित,प्रेषितकीहै।

आख्याके साथ साक्ष्यमें खतौनीफसलीवर्ष 1419-1424 खातासंख्या 183 व खाता संख्या 335 व खातासंख्या408 एवंखसरा सन् 1420 फसली गाटासंख्या520,521, व 609 कादाखिलकियाहै। एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 व मौके का नक्शा नजरी एवं स्थलीयफोटो भी दाखिलकियाहै।

मेरे द्वारा प्रार्थी/वादीकोसुना गयातथा पत्रावली का अवलोकनकिया तथा पत्रावलीपर उपलब्ध तर्क संगत साक्ष्योंका भलीभांति अध्ययनकियागया जिससे स्पष्ट हैकि उपरोक्त गाटासंख्याओं की भूमि केरकबे पर कृषि कार्य एवं बागवानी वकुक्कुटपालन आदि काकार्यनहीं होरहाहै मौके परभूमिखाली पड़ी हुयीहै। आबादीघोषितकियेजाने की आख्यातहसीलदारने संस्तुतिसहित प्रेषितकीहै। अतः उक्त भूमि को धारा143ज०वि० अधि० के अन्तर्गत आबादी घोषित कियाजाना उचितहोगा।

अतः न्यायहित में ग्रामवैरनी सनौरा तहसील जसरानाकी खतौनीफसली वर्ष 1419-1424 के खातासंख्या 183 के गा०सं० 520 रकबा0-405हे० के 1/4भाग 0-101हे० भूमि एवं खातासंख्या 335 के गा०सं० 609 रकबा 0-599हे० कापूर्ण भाग एवं खातासंख्या 408 के गा०सं० 521 रकबा1-538हे० के 5/24भाग 0-324हे० भूमि जो वर्तमानमें चौ०बच्चूसिंह कालेज आफ एजूकेशन खेरगढ रोड वैरनीसनौरा तहसील जसराना द्वारासचिवदीपककुमार यादव पुत्र श्री बच्चूसिंह यादव निवासीसीतानगर भाग फिरोजाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्जहै, को धारा 143 ज०वि०अधि० के अन्तर्गत लगान मुक्त करते हुये आबादीघोषित कियाजाताहै। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावलीदाखिलदफ्तर हो।

B71

(हस्ताक्षर) 7/3/13

(बी०आर०मिश्र)
उपजिलाधिकारी,
जसराना।

श्री दीपककुमार
10/3/2013
300लगभग
7=00
11/03/2013
12/03/2013

(हस्ताक्षर) 12/3/13